

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2017—आषाढ़ 30, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक एफ ए 3-53/2017/1/पांच(73): मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 26 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सत्यापन की रीतियां अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) आधार आधारित इलेक्ट्रानिकी सत्यापन कूट (ईवीसी) ;
- (ii) कॉमन पोर्टल में नेट बैंकिंग लॉगइन के माध्यम से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट (ईवीसी) ;
- (iii) कॉमन पोर्टल से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट (ईवीसी)

परंतु जहां किसी दस्तावेज के सत्यापन की रीति पूर्वोक्त में से किसी एक रीति के माध्यम से है, वहां ऐसा सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करने के दो दिन के भीतर किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01.07.2017 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार , उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3- 53/2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 21/07/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3- 53/2017/1/पांच (73), दिनांक 21 जुलाई, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार , उपसचिव.

Bhopal, the 21 July 2017

F A 3-53/2017/1/V (73) : In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 26 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rule, 2017, the State Government, hereby notifies the following modes of verification, for the purpose of the said rule, namely:-

- (i) Aadhaar based Electronic Verification Code (EVC);
- (ii) Electronic verification code generated through net banking login on the common portal (EVC);
- (iii) Electronic verification code generated on the common portal (EVC).

Provided that where the mode of authentication of any document is through any of the aforesaid modes, such verification shall be done within two days of furnishing the documents.

2. This notification shall come into force with effect from the 21/07/2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy Secy.